

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक : 1517/14-1 रामपुर, दिनांक : 29 दिसम्बर 2016

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ०प्र०,
मुरादाबाद।

विषय :- जनपद रामपुर में मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा ग्राम कोठा जागीर, तहसील बिलासपुर के खसरा सं० 144, बिलासपुर-मिलक मार्ग (एम.डी.आर. नं०-33) किमी० 2.300 की बांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0598 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - Online Submission File No. FP/UP/Others/21199/2016 dated 16-09-2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा ग्राम कोठा जागीर, तहसील बिलासपुर के खसरा सं० 144, बिलासपुर-मिलक मार्ग (एम.डी.आर. नं०-33) किमी० 2.300 की बांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0598 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा - 2 के अन्तर्गत 0.0598 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सेल्स ऑफिसर (रिटेल) रामपुर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिलासपुर।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।